BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 दिसम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर धोखाधडी करने वाले टॉप-10 दो अपराधियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1.अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी भडकाऊ थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर 2. अशोक पुत्र रघुवीर निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष-2020 में एक व्यक्ति से धोखाधडी कर 08 बीघा जमीन के बैनामा का झांसा देकर 1,91,000/- रुपये हड़प लेने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 20.08.2020 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 379/2020 धारा- 420,406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.10.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 07 गवाह परिक्षित हुए । जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.12.2024 को न्यायाधीश श्री योगेश शिवा (मा0 न्यायालय ऐसीजे एसडी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर दोनो अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अखिलेश मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर